

अज अदालत..... मुकाम.....

बनाम.....

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... को पेश हो।</p>	
06/03/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गिणों के नोटिस तामील भेजने तामिल पत्रावली/उत्तरावली के पत्रावली फाईल में दिनांक 28/02/18 को पेश हो।</p>	
28/03/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गिणों के नोटिस तामिल बुद्धा प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी/गिणों का कजुड तामिल अनुपस्थित जिनके खिलाफ एडवोकेट प्रार्थना के लिये जारी है। प्रार्थी के माध्यम से एडवोकेट का काम लुनी गई प्रार्थी के माध्यम से कलामा श्री प्रार्थी को अपने प्यारेसी बेली के बीच मोर पत्र के नेचम तामिल उरवाने कावरपत्र के तामिल प्रार्थी का नेचमवनी कावेडन तरीका किया जाइत नेचमवनी कावेडन किया जाये। मतः प्रार्थी माध्यम से उ निवेदन पर प्रार्थी का नेचमवनी कावेडन तरीका किया जाइत तहसीलदार गिणों को उममान निमुक्त किया जाय है व मोर किया जाय है कि फास तबम या अपने माध्यम से भी भी प्रार्थी के निवेदन</p>	

प्रार्थी के प्यारेसी बेली श्री प्रार्थी नेचमवनी फाईल पर कजुड जमाउताइत उरवे पालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर काफिल पत्रावली के पत्रावली के मल कजुड के दर्ज नम्बर के उम है, दाखिल इफतल है।

[Handwritten signature and stamp]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2018/ 430

दिनांक :-28.03.2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी गण

1. रेवताराम पुत्र डुगराराम
जाति मेंघवाल निवासी शहर
तहसील गिड़ा

1. मगलाराम पुत्र सिमराथाराम 18
निवासी शहर तहसील गिड़ा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राजस्थान भू रा अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 63/18

आदेश

मौजा शहर पटवार हल्का शहर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नं. 319/44 320/95 रकबा 18.11 30.13 बीघा की भूमि के चारों तरफ नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्त भूअ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखम बन्दी मौके पर शुल्क जमा कर करे तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता



कमांक/वाद/2018/ 431-435


सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
गिड़ा

दिनांक :-28.03.2018

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी शहर को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री रेवताराम
4. विप्रार्थी श्री मगलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा


सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
गिड़ा